

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय, रायपुर

क्रमांक १८


/वि.स./स्था./2018

रायपुर, दिनांक 06/01/2018

//आदेश//

आदेशानुसार सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19(1) के प्रावधानानुसार डॉ. सत्येन्द्र कुमार तिवारी, अपर सचिव को आगामी आदेश तक प्रथम अपीलीय अधिकारी नियुक्त किया जाता है।

आदेश से



(चन्द्र शेखर गंगराड़े)

सचिव

छत्तीसगढ़ विधान सभा


पृ. क्रमांक ११

/वि.स./स्था./2018

रायपुर, दिनांक 06/01/2018

प्रतिलिपि :-

- (1) डॉ. सत्येन्द्र कुमार तिवारी, अपर सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय, रायपुर।
- (2) श्री अशोक कुमार गेडाम, उप सचिव एवं लोक सूचना अधिकारी, छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय, रायपुर की ओर सूचनार्थ।
- (3) मान. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ विधान सभा के सचिव को मान. अध्यक्ष महोदय के सूचनार्थ।
- (4) सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग, निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड़, शंकर नगर, रायपुर।
- (5) लेखा शाखा, छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय, रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।



अवर सचिव

छत्तीसगढ़ विधान सभा